

बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लि॰, पटना

(अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार का एक उपक्रम) 34, अली इमाम पथ (हार्डिंग रोड), पटना-800001

 $Email: bsmfclpatna-bih@gov.in/minocorpatna@gmail.com\ Website: www.bsmfc.org\ Ph: 0612-2204975$

के माध्यम से संचालित

राज्य सम्पोषित मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण

आवेदक का स्वअभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज फोटो

आवेदन पत्र 2020-21 & 2021-22

आवेदन आई०डी०सं० -	जिला का नाम		
1. आवेदक का नाम			
2. पिता/पति का नाम			
3. आधार संख्या (स्वअभिप्र	माणित छायाप्रति संलग्न करें)		
4. लिंग : महिला/पुरूष-	5.जन्म तिथि- 6.आयु (08.0	03.2022 तक)	
7. मोबाईल नम्बर-			
8. ई-मेल आई॰डी॰ :-			
9. स्थाई पता: मकान संं ग्राम/मोहल्ला			
पंचायत/वार्डसंख्या	डाकघर प्रखण्ड		
थाना	जिला पिन कोड		
10. वर्तमान पता: मकान संं ग्राम/मोहल्ला			
पंचायत/वार्डसंख्या	डाकघर प्रखण्ड		
थाना	जिला पिन कोड		
11. व्यवसाय/दुकान का पता :- मकान संं ग्राम/मोहल्ला			
पंचायत/वार्डसंख्या	डाकघर प्रखण्ड		
थाना	जिला पिन कोड		
योजना स्थान का क्षेत्र - (नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत/ग्रामीण) :-			
12.धर्म (मुस्लिम को छोड़कर, अन्य अल्पसंख्यकों हेतु उनके धर्म सम्बन्धी प्रमाण पत्र सम्बन्धित धर्मावलम्बी			
संस्थानों (Monasteries) द्वारा निर्गत हो)			
13. शैक्षणिक योग्यता का वि	वेवरण		
14. वर्तमान पेशा			
15. (क)केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा संचालित कौशल विकास योजना से प्रशिक्षित अथवा सरकारी			
(ख) प्रशिक्षण अवधि 3-5 माह, 6-12 माह या 1 वर्ष से अधिक का कोर्स			
16. दिव्यांग/परित्यक्ता/विधवा (प्रमाण-पत्र/सत्यापित प्रति की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करे)			

	नग्न करें)।
18. (क) प्रस्तावित व्यवसाय का नाम	
(ख) व्यवसाय पर कुल लागत गि ऋण राशि की आवश्यक	ता/माँग
19. सरकार द्वारा पंजीकृत सहकारी संस्था /संघ/ SHG के सदस्य -	
20. व्यवसाय की कार्य योजना/पुर्व अनुभव रखने वाले आवेदक/दुकान	
व्यवसाय का पंजीकरण/आय-व्यय के ब्यौरे का संधारण एवं अंकेक्षण	
21. क्या इसके पहले किसी बैंक या एजेन्सी या सहकारी बैंक या इस निगम या किसी वित्तीय स	पंस्थान से ऋण प्राप्त किया है, जिसका कोई
अंश वापसी के लिए बाकी है । यदि हाँ, तो संस्था एवं बकाया राशि का विवरणी दें :	
22. आवेदक के आधार लिंक्ड बैक खाता की विवरणी :-	
बैंक का नाम एवं शाखा:-	
खाता संख्या :-	
IFSC कोड :-	
स्थान :	
तिथि :	आवेदक का हस्ताक्षर
पंजीकृत सहकारी संस्था /SHG/ संघ, केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा संचालित कौशल विकास यो शिक्षण संस्थानों से तकनीकी/ व्यवसायिक शिक्षा के विवरण की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति 2. वाहन क्रय हेतु ऋण के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति तथा दवा दुकान हेतु ऋण के लिए	संलग्न करें।
शिक्षण संस्थानों से तकनीकी/ व्यवसायिक शिक्षा के विवरण की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति 2. वाहन क्रय हेतु ऋण के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति तथा दवा दुकान हेतु ऋण के लिए ———————————————————————————————————	संलग्न करें।
शिक्षण संस्थानों से तकनीकी/ व्यवसायिक शिक्षा के विवरण की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति 2. वाहन क्रय हेतु ऋण के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति तथा दवा दुकान हेतु ऋण के लिए ———————————————————————————————————	संलग्न करें।
शिक्षण संस्थानों से तकनीकी/ व्यवसायिक शिक्षा के विवरण की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति 2. वाहन क्रय हेतु ऋण के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति तथा दवा दुकान हेतु ऋण के लिए ———————————————————————————————————	संलग्न करें।
शिक्षण संस्थानों से तकनीकी/ व्यवसायिक शिक्षा के विवरण की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति 2. वाहन क्रय हेतु ऋण के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति तथा दवा दुकान हेतु ऋण के लिए	संलग्न करें।
शिक्षण संस्थानों से तकनीकी/ व्यवसायिक शिक्षा के विवरण की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति 2. वाहन क्रय हेतु ऋण के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति तथा दवा दुकान हेतु ऋण के लिए	संलग्न करें।
शिक्षण संस्थानों से तकनीकी/ व्यवसायिक शिक्षा के विवरण की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति 2. वाहन क्रय हेतु ऋण के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति तथा दवा दुकान हेतु ऋण के लिए	संलग्न करें।
शिक्षण संस्थानों से तकनीकी/ व्यवसायिक शिक्षा के विवरण की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति 2. वाहन क्रय हेतु ऋण के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति तथा दवा दुकान हेतु ऋण के लिए	संलग्न करें।
शिक्षण संस्थानों से तकनीकी/ व्यवसायिक शिक्षा के विवरण की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति 2. वाहन क्रय हेतु ऋण के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति तथा दवा दुकान हेतु ऋण के लिए	संलग्न करें।
शिक्षण संस्थानों से तकनीकी/ व्यवसायिक शिक्षा के विवरण की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति 2. वाहन क्रय हेतु ऋण के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति तथा दवा दुकान हेतु ऋण के लिए आवेदन प्राप्ति रसीद (कार्यालय द्वारा भरा जाएगा) जिला आई०डी०सं०-	संलग्न करें।